

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 14th March, 2013]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2013

No. 18/32/2013-3C1.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of member Sh. Rajbir S/o Sh. Bhajan Lal, Ward No. 9, as President of the Municipal Committee, Hathin in District Palwal.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

50911—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 14th March, 2013]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2013

संख्या 18/32/2013-3क1.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रधान के रूप में श्री राजबीर पुत्र श्री भजन लाल, सदस्य, वार्ड नं० 9, नगरपालिका, हथीन, जिला पलवल का नाम अधिसूचित करते हैं।

पी० राघवेन्द्रा राव,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।

50911—C.S.—H.G.P., Chd.